न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2021(रसद)
पंजीयन दिनांक 26.04.2021
G.C.M.S. NO. :-2021/192

राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री भंवरलाल पिता राणाराम जाति जाखड़ जाट उम्र 31 वर्ष निवासी भेड़ पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर (राज.)
2–श्री महबूब खाँ पिता सरदार खाँ पठान मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी ई 7 कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थितिः– 1–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2–श्री नीतिन चावत, अधिवक्ता विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.03.2021 को पुलिस उप अधीक्षक, श्री कमल कुमार जांगिड़ को नेशनल हाईवे रोड़ 79 पर महादेव रायका होटल सरहद सोनियाणा पर अवैध बायो डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर पाया कि एक बड़ा टैंकर नम्बर RJ 19 GC 8373 एवं एक टाटा मैजिक टेम्पो नं. RJ 19 GA 3142 जिस पर एक छोटा टैंकर लगा हुआ वहां खडे पाये गये। बडे टैंकर में से छोटे टैंकर में बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ निकालने के लिये मोटर मय पाईप लगी हुई मिले। इस पर टैंकर नं. RJ 19 GC 8373 के चालक को नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरलाल पिता राणाराम जाखड निवासी भेड़ थाना लोहावट जिला जोधपुर तथा टाटा मैजिक टेम्पो में लगा हुआ छोटा टैंकर नं. RJ 19 GA 3142 के चालक ने अपना नाम महबूब खाँ पिता सरदार खाँ पठान निवासी कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ होना बताया। दोनों ही टैंकरों का वाल खोलकर अन्दर देखा तो दोनों ही टैंकरों में बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। बडे टैंकर की

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

भराव क्षमता 12000 लीटर व छोटे टैंकर की भराव क्षमता 2000 लीटर पाई गई। दोनों ही टैंकर चालकों से पूछताछ करने पर संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर तसल्ली देकर पूछने पर दोनो ने ही बताया कि हम मुम्बई, गुजरात की तरफ से बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ लेकर आते हैं एवं महादेव होट्ल पर बडे टैंकरों में से बायोडीजल निकालकर उन्हें सस्ते दामों में ट्रक ड्राईवरों को बेचते हैं। मौके पर कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को सूचना देने पर श्रीमति सुमन तिवारी प्रवर्तन अधिकारी एवं सुश्री ज्योति खटीक प्रवर्तन निरीक्षक टीम के उपस्थित आये जिनके द्वारा दोनों ही टैंकरों के चालकों से पूछताछ करने पर उन्होने उनके पास कोई वैध कागजात, परिवहन करने के बारे में कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना बताया। मौके पर टैंकरों का नाप किया तो बडे टैंकर में कुल 1900 लीटर व टाटा मैजिक टैम्पो मे लगे छोटे टैंकर में कुल 700 लीटर बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ भुरा हुआ पाया गया जिनमें से नमूना सेम्पल लिये जाकर टैंकर नम्बर RJ 19 GC 8373 एवं टाटा मैजिक टेम्पो नं. RJ 19 GA 3142 जिस पर एक छोटा टैंकर लगा हुआ को मय बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ के जब्त कर जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नीतिन चावत ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र पेश किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन करने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीगण मात्र वाहन चालक है जो मौके पर स्थित होट्ल पर खाना खा रहे थे जिन्हें उक्त प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। उक्त प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है यदि जब्तशुदा बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 19 GC 8373 एवं टाटा मैजिक टैम्पो रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 19 GA 3142 का स्वामित्व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर क्रमशः वाहन स्वामी श्री करनाराम चौधरी प्रोपराईटर मैसर्स के आर ट्रांसपोर्ट, उदय सर्विस स्टेशन, जोधपुर जरिये पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर श्री रामचन्द्र चौधरी पिता गोपीचन्द डऊकिया निवासी बी-137 प्रथम विस्तार कमला नेहरू नगर जोधपुर तथा वाहन स्वामी श्री दीपेन्द्र चौधरी पिता करनाराम चौधरी जरिये पावर ऑफ अटेर्नी होल्डर श्री रामचन्द्र चौधरी पिता गोपीचन्द डऊकिया निवासी बी-137 प्रथम विस्तार कमला नेहरू नगर जोधपुर का प्रमाणित पाया जाने से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या क्रमशः 128/2021 (रै.वि.) एवं प्र. सं. 129/2021 (रै.वि.) में दिनांक 10.08.2021 को पारित निर्णयानुसार उनके वैध स्वामियों को राशि क्रमशः 10.00 लाख रूपये एवं 3.00 लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये गए हैं।

सरहद सोनियाणा पर स्थित महादेव रायका होटल पर मौके पर विपक्षीगण, खड़े हुए टैंकर संख्या RJ 19 GC 8373 में से पाईप व मोटर लगाकर टाटा मैजिक टैम्पो नं. RJ 19 GA 3142 में लगे छोटे टैंकर में बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हुए पाए गए। विपक्षीगण ने पूछने पर उनके पास बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 2600 (1900 + 700) लीटर बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य उपकरण राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 27.03.2021 को जब्तशुदा कुल 2600 (1900 + 700) लीटर बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य उपकरण आदि सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 2600 लीटर बायोडीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य उपकरणों को थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़